न्यायालय उपखण्डअधिकारी एवं उपखण्डमजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेटपरिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.–074423258

GCMS NO.-2003/00072

मिसल नम्बर–402 / 2006

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिए तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा।

प्रार्थी।

बनाम

1. बजरंग लाल पुत्र भंवरलाल जाति मीणा साकीन बालिता जिला कोटा।

अप्रार्थी।

–ःनिर्णयः–

(राजस्थान भू–राजस्वअधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत् प्रार्थनापत्र।)

दिनांक 12/12/24

उपस्थितिः–

1. सरकार पैरोकार।
2. अप्रार्थी अधिवक्ता श्री रामरतन मीणा।

वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 इस बाबत् प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम बालिता में प्रतिवादी बजरंग लाल के खाते में जमाबंदी संवत् 2041 से 2044 के अनुसार खसरा नम्बर 400 रकबा 22 बीघा 17 बीस्वा भूमि स्थित थी। भू प्रबंध विभाग द्वारा दौराने सेटलमेंट संवत् 2038 से 2057 साबिक खसरा नम्बर 400 का नया खसरा नम्बर 509 बनाया गया तथा खसरा नम्बर 509 का रकबा 3.84 है0 दर्ज किया गया। मैट्रीक प्रणाली की गणनानुसार 22 बीघा 17 बीस्वा के 3.66 है0 होते है। भू प्रबंध विभाग द्वारा अप्रार्थी के खाते 3.84 है0 भूमि दर्ज कर 0.18 है0 भूमि अवैधानिक तरीके से दर्ज कर दी गई है। अतः प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा निवेदन किया गया है कि खसरा नम्बर 509 रकबा 3.84 है0 में से 0.18 है0 भूमि राजकीय सिवायचक किस्म बारानी दोयम दर्ज की जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गये।

1. नकल जमाबंदी 2016 से 2023
2. नकल जमाबंदी संवत् 2032 से 2035
3. मिलान क्षेत्रफल 2038 से 2057
4. नक्शा ट्रेस 2012 से 2013
5. नकल भू प्रबंध विभाग का पर्चा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★

उपखण्ड अधिकारी
को[illegible]

आगामी तारीख पेशी
28.06.2003

6. नकल प्रमाण पत्र आवंटन बिक्री

बहस वकुलाय फरीकेन सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जमाबंदी संवत् 2032 से 2035 से प्रमाणित है कि प्रार्थी के खाते खसरा नम्बर 400 के अतिरिक्त खसरा नम्बर 396 मिन 408, 411, 414, 566, कुल रकबा 26 बीघा 04 बीस्वा भूमि दर्ज रिकॉर्ड थी लेकिन तहसीलदार लाडपुरा द्वारा मात्र एक खसरा नम्बर 400 को आधार बनाकर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी का यह भी कथन है कि तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में एक अन्य महत्वपूर्ण गलती यह भी की गई है कि उनके द्वारा गत खसरा नम्बर 400 से वर्तमान खसरा नम्बर 509 बनना बताया गया है। जबकि मिलान क्षेत्रफल 2038 से 2057 से स्पष्ट है कि हाल खसरा नम्बर 509 में गत खसरा नम्बर 400 मिन के अतिरिक्त खसरा नम्बर 396 मिन भी सम्मिलित है। इस प्रकार तहसीलदार लाडपुरा द्वारा पूर्णतया गलत तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसे खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा बहस अप्रार्थी पर गंभीरतापूर्वक मनन किया।

पत्रावली में संलग्न जमाबंदी संवत् 2032 से 2035 से प्रमाणित है कि अप्रार्थी के खाते कुल किता 06 कुल रकबा 26 बीघा 04 बीस्वा भूमि दर्ज रिकॉर्ड थी। संलग्न मिलान क्षेत्रफल संवत् 2038 से 2057 से प्रमाणित होता है कि हाल खसरा नम्बर 509 गत खसरा नम्बर 396 मिन व 400 मिन से मिलकर बना है। जबकि वादी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में हाल खसरा नम्बर 509 को केवल गत खसरा नम्बर 400 से बनना बताया गया है। इसी प्रकार विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी का यह कथन भी प्रमाणित होता है कि भू प्रंबध से पूर्व अप्रार्थी के खाते में 26 बीघा 04 बीस्वा भूमि दर्ज रिकॉर्ड थी जिसका भू प्रंबध विभाग द्वारा नवीन कुल क्षेत्रफल 4.38 है0 बनाया गया है और इस प्रकार भू प्रंबध विभाग द्वारा अप्रार्थी के खाते में रकबे में कोई वृद्धि नही की गई है।

उक्त परिस्थिति में हम तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती को न्यायोचित नही मानते।

अतः तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

उक्त निर्णय आज दिनांक ......12/12/27......को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★

(गजेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा